

भाग—II**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जुलाई, 2026

संख्या लैज. 28/2026.— दि हरियाणा विलेज कॉमन लैन्डज (रेगुलेशन) अमेन्डमेन्ट ऑर्डिनन्स, 2026 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 जुलाई, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4—क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त ऑर्डिनन्स का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2026 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4**हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2026****हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961****को आगे संशोधित****करने के लिए****अध्यादेश**

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. यह अध्यादेश हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2026 कहा जा सकता है।
2. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5क की उप-धारा (1क) में, "निदेशक, विकास तथा पंचायत विभाग" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "सम्बद्ध उपायुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संक्षिप्त नाम।

1961 के पंजाब
अधिनियम 18 की
धारा 5क का
संशोधन।

चण्डीगढ़:

दिनांक: 23 जुलाई, 2026

प्रो० असीम कुमार घोष

राज्यपाल, हरियाणा।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।